

कार्यालय  
**उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड**

अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कालोनी, अघोईवाला, देहरादून, 248001

email: ceouk@wakf.gov.in

पत्रांक:—**993** / वाद प0 सं0 189 / धारा—54 / व0 सं0—425—देहरादून / 2020—21 दिनांक:—**28** फरवरी, 2020

**आन्तरिक वाद सं0 03 वर्ष 2019 अन्तर्गत धारा 54**

**वक्फ अधिनियम 1995 यथासंशोधित 2013**

**वक्फ सं0 425, मस्जिद रहमानिया, चोरखाला, चकराता रोड़,  
देहरादून द्वारा प्रबन्ध समिति अध्यक्ष श्री अख्तर हुसैन फारूकी**

**बनाम**

1. श्री जावेद उल हक पुत्र स्व0 शम्स उल हक
2. श्री शमीम पुत्र श्री जावेद उल हक।

पता— यंग टेलर्स, वक्फ सं0 425, मस्जिद रहमानिया, चोरखाला, चकराता रोड़, देहरादून।

1. वक्फ सं0 425, मस्जिद रहमानिया, चोरखाला, चकराता रोड़, देहरादून की प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष श्री अख्तर हुसैन फारूकी (जिन्हें आगे इस निर्णय में वादी कहा गया है) द्वारा अपने पत्र दिनांक 13.02.2019 के माध्यम से अवगत कराया कि 1. श्री जावेद उल हक पुत्र स्व0 श्री शम्स उल हक 2. श्री शमीम पुत्र श्री जावेद उल हक (जिन्हें आगे इस निर्णय में प्रतिवादी कहा गया है) जोकि उपरोक्त वक्फ सम्पत्ति के एक भाग में किरायेदार थे, को सम्पत्ति, अन्तरण अधिनियम की धारा—106 के अन्तर्गत सूचना पत्र दिनांक 11.01.2019 के द्वारा प्रेषित किया गया, जो कि प्रतिवादी को दिनांक 12.01.2019 को तामील हो गया। दिनांक 13.02.2019 को विधिनुसार प्रतिवादी की किरायेदारी समाप्त हो गयी है, परन्तु उनके द्वारा वक्फ सम्पत्ति को रिक्त नहीं किया है और न ही अपना सामान हटाया है। प्रतिवादी पर माह अप्रैल, 2016 से सूचना पत्र की तामील दिनांक 12.01.2019 के 30 दिन व्यतीत होने की समयावधि तक अंकन 1,44,000.00 रुपये किराया तथा सूचना पत्र व्यय अंकन 1500.00 रुपये शेष है इसके अतिरिक्त प्रकरण विचाराधीन रहते तथा अन्तिम करण तक आवेदक अंकन 1,000.00 रुपये प्रतिदिन के रूप में वासलात पाने का अधिकारी है। वादी द्वारा प्रतिवादी को वक्फ सम्पत्ति के अवैध कब्जेधारक के रूप में परिभाषित करते हुए वक्फ अधिनियम 1995 यथासंशोधित 2013 की धारा 54 के तहत कार्यवाही किये जाने हेतु अनुरोध किया गया।
2. वक्फ निरीक्षक श्री मौहम्मद अली द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का निरीक्षण कर दिनांक 22.02.2019 को आख्या दी गयी कि प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष श्री अख्तर हुसैन फारूकी द्वारा उपरोक्त सम्पत्ति के किरायेदार श्री जावेद उल हक पुत्र स्व0 शम्स उल हक व श्री शमीम पुत्र जावेद उल हक को प्रेषित नोटिस दिनांक 11.01.2019 अन्तर्गत टी0पी0 एक्ट की धारा 106 प्रेषित करते हुए सूचित किया कि उनकी किरायेदारी समाप्त कर दी गयी है अतः बकाया किराया जमा कर सम्पत्ति का कब्जा प्रबन्ध समिति को हस्तगत कर दें, परन्तु प्रतिवादी द्वारा 30 दिन की अवधि व्यतीत होने के पश्चात भी वक्फ सम्पत्ति का कब्जा प्रबन्ध समिति को हस्तगत नहीं किया गया, प्रतिवादी वक्फ सम्पत्ति के अतिक्रमणकर्ता की परिभाषा में आते हैं जिन पर वक्फ अधिनियम 1995 यथा संशोधित 2013 की धारा 54 के तहत कार्यवाही की जानी उचित होगी।



3. अधोहस्ताक्षरी द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 3(ee) का अवलोकन किया गया जिसमें वक्फ सम्पत्ति के अतिक्रमणकारी—

“encroacher” means any person or institution, public or private, occupying waqf property, in whole or part, without the authority of law and includes a person whose tenancy, lease or licence has expired or has been terminated by mutawalli or the Board;

उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि प्रतिवादी की किरायेदारी नोटिस दिनांक 11.01.2019 के माध्यम से प्रबन्ध समिति द्वारा समाप्त कर दी गयी एवं दिनांक 13.02.2019 से उपरोक्त व्यक्ति अतिक्रमणकारी घोषित हो गये हैं।

4. अतः उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड नियमावली-2017 के नियम सं0 53 के अनुसार प्रतिवादी को सुनवाई हेतु दिनांक 12.03.2019 को नियत करते हुए दिनांक 25.02.2019 को नोटिस जारी किये गये।
5. सुनवाई हेतु नियत दिनांक 12.03.2019 को प्रतिवादी की ओर से उनके अधिवक्ता श्री मुहम्मद जुबैर वकालतनामा सहित उपस्थित हुए और प्रार्थना की कि वाद में आज ही अधिवक्ता नियुक्त हुआ हूँ पत्रावली क अध्यन हेतु समय की आवश्यकता है, वाद में आद की तिथि मुलतवी कर अन्य तिथि प्रदान कि जाये । वाद में अग्रिम तिथि 21.12.2019 नियत करते हुए प्रतिवादी के अधिवक्ता को सूचित किया गया।
6. नियत दिनांक 21.12.2019 को प्रतिवादी के अधिवक्ता अनुपस्थित रहे, अतः न्यायहित में वाद में सुनवाई हेतु अग्रिम तिथि दिनांक 18.01.2020 नियत की गयी।
7. नियत दिनांक 18.01.2020 को प्रतिवादी के अधिवक्ता का एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ जिसमें प्रार्थना की गयी कि उक्त वाद में प्रतिवादी के अधिवक्ता अन्य आवश्यक कार्य हेतु शहर से बाहर गये हुए है। न्यायहित में समय की आवश्यकता है, आज की तिथि मुलतवी कर अन्य तिथि प्रदान करने की कृपा करें। न्यायहित में प्रार्थना स्वीकार करते हुए दिनांक 15.02.2020 नियत की गयी।
8. नियत दिनांक 15.02.2020 को प्रतिवादी के अधिवक्ता उपस्थित हुए और प्रतिवादी का लिखित कथन प्रस्तुत किया, जिसे पत्रावली का भाग बनाकर सुनवाई आरम्भ की गयी, प्रतिवादी द्वारा निम्नलिखित आपत्ति प्रस्तुत की है—

1. आपके उपरोक्त सभी नोटिसों में लिखी गयी बातें मनगढ़ंत हैं, निराधार हैं, एवं असत्य हैं, इसलिये आपके द्वारा भेजे गये आज तक सभी नोटिसों में वर्णित कथनों को अस्वीकार करते हैं।
2. आपत्तिकर्तागण की सम्पत्ति का मस्जिद मुरादनगर वक्फ सं0 425 या मजार से किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध या वास्ता नहीं है।
3. आपके द्वारा भेजे गये वक्फ सं0 425 की बाबत नोटिसों में लिखे गये सम्पूर्ण कथन पूर्णतया विराधाभासी है इसलिए पूर्णतया अस्वीकार है। वास्तविकता आगे वर्णन की गयी है।
4. आपत्तिकर्तागण की सम्पत्ति रिहायश की व्यक्तिगत सम्पत्ति थी, जिस पर आपत्तिकर्तागण कई दशकों से काबिज व अध्यासित है। आपत्तिकर्तागण ही नहीं, इसी प्रकार पूरा मौहल्ला काबिज व आबाद है और आपत्तिकर्तागण की तरह मौहल्लेवासी भी पीढीयों से काबिज, आबाद है।
5. आपत्तिकर्तागण के मौहल्ले में पहले कभी बिजनी नहीं थी, परन्तु काफी समय से सरकार द्वारा दी गयी सुविधाओं के कारण आपत्तिकर्तागण की सम्पत्ति में भी विद्युत कनेक्शन व्यक्तिगत है, क्योंकि प्रश्नगत सम्पत्ति आपत्तिकर्तागण की व्यक्तिगत सम्पत्ति है।
6. आवश्यकता के अनुसार आपत्तिकर्तागण ने प्रश्नगत अपनी रिहायश की सम्पत्ति में यंग टेलर के नाम से दर्जी का काम करना आरम्भ कर दिया था, और आज भी आपत्तिकर्तागण

3

अपनी रिहायश की प्रश्नगत सम्पत्ति में दर्जी का कार्य कर अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहे हैं।

7. उपरोक्त के दर्जी के काम के अलावा आपत्तिकर्तागण का अन्य कोई आय का साधन नहीं है।
  8. आपत्तिकर्तागण के मौहल्ले के सम्मानित व्यक्तियों ने लगभग 15 वर्ष पहले अनुरोध किया था कि मस्जिद की भूमि कम है, नमाजी(नमाज पढ़ने वाले व्यक्ति) अधिक आते हैं और जुमा के दिन जुमा की नमाज में भारी परेशानी होती है, सड़क पर नमाजी नमाज पढ़ते हैं जिससे सड़क पर चलने वालों को तथा अन्य समुदाय के लोगों को परेशानी होती है। उक्त मौहल्ले के सम्मानित व्यक्तियों ने कहा कि आपके मकान की छत पर नमाजी नमाज पढ़ लिया करेंगे। आपत्तिकर्तागण ने जनहित में मात्र नमाज पढ़ने हेतु अपनी ओर से मौखिक अनुमति दे दी, जिस कारण तब से आज तक आपत्तिकर्तागण की प्रश्नगत सम्पत्ति की छत पर नमाजी नमाज पढ़ते चले आ रहे हैं।
  9. आपत्तिकर्तागण ने अभी तक अपनी मौखिक दी गयी अनुमति को वापस नहीं ली है, परन्तु मस्जिद कमेटी की दूषित मंशा व मस्जिद कमेटी द्वारा आप महोदय को दी गयी गलत सूचनाओं के आधार पर मस्जिद कमेटी ने रंजिशन आपत्तिकर्तागण की प्रश्नगत सम्पत्ति हड़पने की नियत से उपरोक्त नोटिस भिजवाये हैं जो पूर्णतया विधि व तथ्यों के खिलाफ है, क्योंकि आपत्तिकर्तागण की प्रश्नगत, व्यक्तिगत सम्पत्ति से उक्त वक्फ सं0 425 का कहीं कोई सम्बन्ध व वास्ता नहीं है।
  10. यह कि मस्जिद कमेटी आपत्तिकर्तागण से रंजिशन रखने लगी है और झूठी अफवाहें फैलाकर आपत्तिकर्तागण को हानि पहुंचा रही है, जिससे आपत्तिकर्तागण का आर्थिक, मानसिक व सामाजिक उत्पीडन हो रहा है। यदि मस्जिद कमेटी में उक्त अफवाहों को फैलाना बंद नहीं किया तो मजबूरन मानहानि व क्षतिपूर्ति जैसे न्यायिक कार्यवाही को अमल में लाना पड़ेगा, जिसके समस्त हर्जे खर्चे की जिम्मेदारी मस्जिद कमेटी की होगी।
  11. इस प्रकार न्यायहित में उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में आपके द्वारा चलायी जा रही आंतरिक वाद संप0 189(54)/उ0व0बोर्ड/2019-20 समाप्त की जानी आवश्यक है अन्यथा प्रार्थीगण/ आपत्तिकर्तागण को अपूर्णनीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति बाद में सम्भव नहीं होगी।
9. वादी द्वारा नियत दिनांक 15.02.2020 को उपस्थित होकर मस्जिद रहमानिया, बल्लूपुर रोड़, देहरादून की प्रबन्ध समिति के तत्कालीन सदर हाजी मकसूद अहमद पुत्र श्री नानू निवासी महेन्द्र विहार, बल्लूपुर रोड़, देहरादून एवं सचिव श्री मौहम्मद शाहिद खान पुत्र श्री मौहम्मद यामीन खान निवासी 46 श्रीदेव सुमननगर, बल्लूपुर रोड़, देहरादून तथा प्रतिवादी सं0 1 श्री जावेद उल हक पुत्र श्री शमशुल हक निवासी ग्राम गोरखपुर टी-स्टेट, आरकेडिया ग्रान्ट, शिमला रोड़, देहरादून के मध्य दिनांक 03.11.2009 रु0 100.00 रुपये के स्टाम्प पेपर पर लिखित किरायानामा तथा प्रतिवादी सं0 1 द्वारा विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण), देहरादून के समक्ष विद्युत संयोजन हेतु दिये गये आवेदन पत्र, तत्कालीन प्रबन्ध समिति के सदर हाजी मकसूद द्वारा विद्युत संयोजन हेतु दिया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र, कनेक्शन स्थल की निरीक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। जिसे पत्रावली का भाग बनाया गया।
  10. बोर्ड कार्यालय में वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु उपरोक्त वक्फ की प्रबन्ध समिति के महासचिव श्री असगर अली द्वारा प्रस्तुत की गयी वार्षिक रिटर्न में यंग टेलर के नाम से 03 दुकानों का 3600.00 रुपये माहवार की दर से वसूल किया जाना दर्शित किया गया है।
  11. किरायानामा में स्पष्ट अंकित है कि-

h

मस्जिद रहमानिया वक्फ सम्पत्ति है। मस्जिद रहमानिया की अपनी कुछ दुकानें हैं। उक्त मस्जिद की सम्पत्ति की देखभाल करने, रख-रखाव करने, इन्तजाम करने के लिए एक स्थानीय कमेटी का गठन उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड द्वारा हो रखा है। मस्जिद रहमानिया की उक्त कमेटी में श्री मौहम्मद शाहिद खान सचिव हैं तथा हाजी मकसूद अहमद सदर हैं और इन दोनों को उक्त मस्जिद की दुकानों को किराये पर देने के अधिकार प्राप्त हैं। इन्हीं अधिकारों का प्रयोग करते हुए उक्त किरायानामा अंकित व निष्पादित किया जा रहा है।

प्रथम पत्र उक्त मस्जिद रहमानिया की तीन दुकानों को, जिनका पूर्ण विवरण इस किरायेनामा की सूची में दिया गया है। प्रथम पक्ष निम्न वर्णित सम्पत्ति को द्वितीय पक्ष को किराये पर लेने को तैयार है, जिसकी बाबात हम दोनों पक्षों के मध्य निम्न शर्तें तय व करार पायी गयी है। दोनों पक्षकार व उनके उत्तराधिकारी एवं हितप्रतिनिधि निम्नलिखित शर्तों से बाध्य रहेंगे—

1. यह कि प्रथम पक्ष इस किरायेनाम के अन्त में वर्णित सम्पत्ति को मु० 3600.00 रुपये तीस हजार छः सौ रुपये प्रतिमाह प्रत्येक दुकान का किराया 1200.00 रुपये की दर से किराये पर देने के लिए सहमत है तथा द्वितीय पक्ष किराये पर लेने को तैयार है।
  2. यह कि निम्न वर्णित दुकानों की किरायेदारी पांच वर्ष के लिए है अर्थात् 01.11.2009 से प्रारम्भ होकर 30.10.2014 को समाप्त होगी।
  3. यह कि उक्त पांच वर्ष तक किराये की राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी।
  4. यह कि द्वितीय पक्ष निम्न वर्णित दुकानों में यंग टेलर के नाम से टेलरिंग का व्यवसाय करेंगे।
  5. यह कि दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर ही किरायेदारी आगे बढ़ायी जा सकेगी।
  6. यह कि द्वितीय पक्ष निम्न वर्णित दुकानों का किराया प्रत्येक माह के अन्तिम सप्ताह में प्रथम पक्षगण को अदा करता रहेगा।
  7. बिजली के बिलों का भुगतान द्वितीय पक्ष ही वहन करेगा।
  8. यह कि निम्न वर्णित द्वितीय पक्ष को टेलरिंग के व्यवसाय हेतु किराये पर दी जा रही है। निम्न वर्णित दुकानों का अन्य कोई प्रयोग नहीं किया जायेगा।
  9. यह कि द्वितीय पक्ष निम्न वर्णित दुकानों में कोई तोड़-फोड़ नहीं करेगा। यदि करेगा तो उसकी अनुमति प्रथम पक्ष से प्राप्त करेगा।
  10. यह कि यदि प्रथम को निम्न वर्णित दुकानों की निजी प्रयोग के लिये आवश्यकता हुई और निम्न वर्णित दुकानों निश्चित समयावधि से पूर्व खाली कराने की आवश्यकता हुई तो प्रथम पक्ष एक माह पूर्व लिखित सूचना द्वितीय पक्ष को देगा और द्वितीय पक्ष को दुकानें खाली करनी पड़ेगी जिससे द्वितीय पक्ष सहमत है।
  11. यह कि यदि किसी कारणवश द्वितीय पक्ष निश्चित समय से पूर्व ही दुकान खाली करता है तो इसके लिए भी द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को एक माह पूर्व लिखित सूचना देगा।
  12. यह कि यदि द्वितीय पक्ष इस लेख पत्र में लिखी किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है, तो उसी समय से द्वितीय पक्ष की किरायेदारी समाप्त समझी जायेगी तथा प्रथम पक्ष सूची में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा पाने का अधिकारी होगा।
12. उपरोक्त चरण संख्या 09 में वर्णित विद्युत संयोजन हेतु प्रतिवादी द्वारा किया गया आवेदन पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें प्रतिवादी सं० 1 द्वारा "परिसर का पता" हेतु सूचना दी गयी "जामा मस्जिद चोरखाला, चकराता रोड़ देहरादून" तथा आवेदन परिसर का स्वामी/अध्यासी में स्वामी विकल्प को काटकर "अध्यासी" विकल्प पर सही का निशान लगाया गया है। तत्कालीन प्रबन्ध समिति के सदर श्री हाजी मकसूद द्वारा दिनांक 19.10.2004 को दिये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र के चरण सं० 3 में निम्नलिखित कथन अंकित है—

1. That the deponent rented out the one room to Mr. Javed ul-haq. Part of the property Jama Masjid

6

13. कनेक्शन स्थल पर किये निरीक्षण की रिपोर्ट में आवेदक का नाम जावेद उल हक एवं कनेक्शन स्थल का पता "जामा मस्जिद चोरखाला, चकराता रोड़ देहरादून" अंकित किया गया है।

### निष्कर्ष

14. प्रतिवादी द्वारा अपने लिखित कथन दिनांक 15.02.2020 के अनुसार प्रश्नगत सम्पत्ति को अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति बताया गया है परन्तु साक्ष्य के रूप में कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है। प्रतिवादी द्वारा यह भी दर्शाया गया है कि उक्त सम्पत्ति पर विद्युत संयोजन भी व्यक्तिगत है। वादी द्वारा प्रस्तुत किए गये पूर्व प्रबन्ध समिति के विद्युत संयोजन हेतु दिए गये अनापत्ति प्रमाण पत्र जिसमें प्रतिवादी को किरायेदार दर्शाया गया है, से स्पष्ट है कि प्रबन्ध समिति की अनापत्ति के उपरान्त ही प्रतिवादी को किरायेदार के तौर पर विद्युत संयोजन दिया गया न कि प्रतिवादी को व्यक्तिगत तौर पर अपितु प्रतिवादी द्वारा स्वयं को अध्यासी भी अंकित किया गया है। प्रतिवादी द्वारा आवेदन करते हुए पता उपरोक्त जामा मस्जिद का दिया गया है न कि अपने व्यक्तिगत पते पर। उपरोक्त तथ्यों से यह निष्कर्ष निकलता है कि मस्जिद की प्रबन्ध समिति द्वारा प्रतिवादी को किरायेदार के तौर पर विद्युत संयोजन हेतु अनापत्ति दी गयी जिसके फलस्वरूप ही उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि० द्वारा विद्युत संयोजन जारी किया गया। प्रतिवादी का कथन बलहीन है।
15. दिनांक 03.11.2009 को प्रतिवादी तथा तत्कालीन प्रबन्ध समिति के मध्य निष्पादित किरायानामा से स्पष्ट है कि प्रतिवादी उपरोक्त प्रश्नगत सम्पत्ति में किरायेदार के तौर पर अध्यासित होकर यंग टेलर्स के नाम से अपना व्यापार कर रहा है। प्रतिवादी द्वारा किया गया यह कथन कि—
- मौहल्ले के सम्मानित व्यक्तियों ने लगभग 15 वर्ष पहले अनुरोध किया था कि मस्जिद की भूमि कम है, नमाजी(नमाज पढ़ने वाले व्यक्ति) अधिक आते हैं और जुमा के दिन जुमा की नमाज में भारी परेशानी होती है, सड़क पर नमाजी नमाज पढ़ते हैं जिससे सड़क पर चलने वालों को तथा अन्य समुदाय के लोगों को परेशानी होती है। उक्त मौहल्ले के सम्मानित व्यक्तियों ने कहा कि आपके मकान की छत पर नमाजी नमाज पढ़ लिया करेंगे। आपत्तिकर्तागण ने जनहित में मात्र नमाज पढ़ने हेतु अपनी ओर से मौखिक अनुमति दे दी, जिस कारण तब से आज तक आपत्तिकर्तागण की प्रश्नगत सम्पत्ति की छत पर नमाजी नमाज पढ़ते चले आ रहे हैं।*
- बिल्कुल निराधार एवं प्रश्नगत वक्फ सम्पत्ति को अपनी निजी सम्पत्ति बताने का कपटपूर्ण प्रयास है। अतः प्रतिवादी की आपत्ति निरस्त होने योग्य है। उपरोक्त चरण सं० 10 में दिये गये विवरण से स्पष्ट है कि प्रतिवादी द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति का किराया वित्तीय-वर्ष 2014-15 में रु० 3600.00 माहवार की दर से भुगतान किया है, अतः वादी तथा प्रतिवादी के मध्य मकानदार तथा किरायादार के सम्बन्ध विद्यमान होना प्रमाणित होता है।
16. पत्रावली अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार वादी के द्वारा दिनांकित 11.01.2019 के सूचनापत्र अन्तर्गत धारा 106 सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के सूचना पत्र से दिनांक 01.07.2016 से दिनांक 31.12.2019 तक बकाया किराया राशि की मांग करते हुए वादग्रस्त सम्पत्ति से नोटिस प्रेषित कर किरायेदारी समाप्ति की घोषणा करते हुए 30 दिनों के भीतर प्रतिवादी से वादग्रस्त सम्पत्ति के रिक्त अध्यासन की मांग की गयी है और यह भी अभिवचन किया गया है कि यह सूचना पत्र प्रतिवादी को व्यक्तिगत रूप से तामील हो गया। साक्ष्यों से साबित होता है कि वादी द्वारा प्रतिवादी को दिया गया नोटिस अन्तर्गत धारा 106 सम्पत्ति अंतरण अधिनियम वैध नोटिस है और उसके द्वारा विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए प्रतिवादी की वादग्रस्त सम्पत्ति से किरायेदारी समाप्त कर दी गयी है।
17. प्रतिवादी उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराये पर देने, किराया व निष्कासन अधिनियम 1972 (यथाअंगीकृत उत्तराखण्ड राज्य) का लाभ पाने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि वक्फ सम्पत्ति उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से विमुक्त है, अतः स्पष्ट है कि प्रतिवादी की किरायेदारी वादी की इच्छा पर निर्भर है। प्रतिवादी

की किरायेदारी प्रतिमाह की अन्तिम दिनांक पर समाप्त होकर प्रतिमाह की प्रथम तिथि से शुरू होती है। वादी अपनी सम्पत्ति का किराया तय करने हेतु स्वतंत्र है। अतः ऐसी स्थिति में प्रतिवादी चरण संख्या 01 में वर्णित धनराशि भुगतान किये जाने के बाध्य है।

18. वादी के द्वारा दिनांकित 11.01.2019 के सूचनापत्र अन्तर्गत धारा 106 सम्पत्ति अन्तरण अभिनियम के माध्यम से दिनांक 13.02.2019 को प्रतिवादी की किरायेदारी समाप्त की जा चुकी है, अतः प्रतिवादी वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 3(ee) में दी गयी परिभाषा के अनुसार वक्फ सम्पत्ति के अतिक्रमणकारी साबित होते हैं।

### आदेश

इस निर्णय में की गयी उपरोक्त विवेचना के आलोक में प्रतिवादी को सुनवाई एवं अपना कथन प्रस्तुत करने पर्याप्त अवसर देने एवं सम्बन्धित अभिलेखों का परिशीलन करने के उपरान्त मैं अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ वादी प्रतिवादी से विचरण बिन्दु संख्या 1 में लिये गये निष्कर्ष के अनुसार किराया/वासलात राशि रु0 1200.00 रुपये प्रतिमाह प्रति दुकान की दर से दिनांक 01.07.2016 से 12.01.2019 तक कुल किराया 1,39,200.00, सूचना पत्र व्यय अंकन रु0 1,500.00 तथा अवैध अध्यासन रु0 1000.00 प्रतिदिन की दर से कुल 367 दिनों का वासलात 3,67,000.00 अर्थात् कुल रु0 5,07,700.00(पांच लाख सात हजार सात सौ रुपये) प्राप्त करने का अधिकारी हैं एवं प्रतिवादी निम्नलिखित वर्णित सम्पत्ति से बेदखल किये जाने योग्य है।

### सम्पत्ति विवरण-

वक्फ सं0 425, जामा मस्जिद रहमानिया, चकराता रोड़, देहरादून के भूतल पर स्थित 03 दुकानें।  
पूरब- सडक, पश्चिम- मस्जिद की सम्पत्ति, उत्तर-चकराता रोड़ पुल, दक्षिण- मस्जिद की सम्पत्ति।

अतः अधोहस्ताक्षरी द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 54 के तहत श्री जावेद उल हक पुत्र स्व0 शम्स उल हक व श्री शमीम पुत्र श्री जावेद उल हक पता- यंग टेलर्स, वक्फ सं0 425, मस्जिद रहमानिया, चोरखाला, चकराता रोड़, देहरादून तथा उपरोक्त वक्फ की अन्य सम्पत्ति पर अवैध रूप से काबिज सभी व्यक्तियों को आदेशित किया जाता है कि इस आदेश प्राप्ति के 15 दिन के भीतर उपरोक्त वर्णित वक्फ सम्पत्ति का कब्जा तथा वर्णित धनराशि 5,07,700.00(पांच लाख सात हजार सात सौ रुपये) का भुगतान अध्यक्ष, प्रबन्ध समिति मस्जिद रहमानिया, चोरखाला, चकराता रोड़, देहरादून के सुपुर्द कर दें अन्यथा बाद गुजरने मियाद अग्रिम कार्यवाही कर दी जाएगी।

(डॉ0 अहमद इकबाल)

आई0ए0एस

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पृष्ठांकन:- 993/तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी/अपर वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त, देहरादून
2. उपजिलाधिकारी, सदर, देहरादून।
3. श्री एस0सी0विरमानी, वरिष्ठ अधिवक्ता/विधिक परामर्शदाता, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादून को वकालतनामा इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया प्रकरण में मा0 वक्फ अधिकरण देहरादून में कैविएट दाखिल करने का कष्ट करें।

(डॉ0 अहमद इकबाल)

आई0ए0एस

मुख्य कार्यपालक अधिकारी